झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान रहितों की स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम, 2002

[सभा द्वारा पारित]

सत्यमेव जयते

[अधिनियम संख्या–3/2003]

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय झारखण्ड,
राँची द्वारा मुद्रित
2002

झारखण्ड धुम्रपान निषेध एवं धुम्रपान रहितों की स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम, 2002

[सभा द्वारा पारित]

झारखण्ड राज्य लोक कार्य स्थलों एवं लोक वाहनों में धुम्रपान निषेध एवं इससे सम्बद्ध व्यवस्थाओं के निमित विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**--(i) यह अधिनियम, झारखण्ड धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान रहितों की स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम, 2002 से कहलायेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह राज्य सरकार के द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियत तिथि से प्रवृत्त होगा ।

(iv) परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के निमित्त विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेगी तथा ऐसे किसी उपबन्धों में अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि, संबंधित उपबन्धों के प्रभावी होने की तिथि से संदर्भित होगी ।

2. **परिभाषाएँ**--इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :-

(क) 'विज्ञापन' से अभिप्रेत एवं इसमें सम्मिलित है, कोई सूचना परिपत्र, वाल पेपर, पम्पलेट, विज्ञापन पट पर प्रस्तुतीकरण अथवा प्रकाश, ध्वनि, धुआँ, गैस या किसी दूसरे माध्यम से धूम्रपान के प्रभावों का द्रष्टब्य, परिदर्शन जिसका प्रभाव धूम्रपान अभिवृद्धि करना हो तथा पद 'विज्ञापन' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा ।

(ख) 'प्राधिकृत पदाधिकारी' से अभिप्रेत है, अनुच्छेद-4 के अंतर्गत प्रधिकृत व्यक्ति ।

(ग) 'राज्य' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य ।

(घ) 'सरकार' से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार ।

(च) 'लोक कार्य स्थल या उपयोग' से अभिप्रेत है, अनुच्छेद-3 के अंतर्गत घोषित स्थान, जिसमें प्रेक्षागृह, अस्पताल भवन, स्वास्थ्य संस्थान, मनोरंजन गृह, लोक कार्यालय, न्यायायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय, परन्तु इसमें कोई खुला स्थान शामिल नहीं है ।

(छ) 'लोक वाहन' से अभिप्रेत है मोटर यान अधिनियम--1988 के अनुच्छेद-2 के उपबंध-35 के अंतर्गत परिभाषित वाहन, एवं

(ज) 'धूम्रपान' से अभिप्रेत है तम्बाकू का किसी रूप में सेवन चाहे वह सिगरेट, सिगार, बीड़ी या पाईप और रैपर अथवा किसी दूसरे उपकरण से व्यवहृत हो ।

3. **धुम्रपान रहित स्थल लोक कार्य स्थल की उद्घोषणा**-- इस अधिनियम के प्रवत्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके तथा इसके बाद समय-समय पर राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित कर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी स्थान को लोक कार्य-स्थल या धूम्रपान रहित स्थान के रूप में घोषित कर सकती है ।

4. **इस अधिनिमय के अंतर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी घोषित करने के लिए सरकार की शक्ति**--(i) सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तिों को इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने हेतु सक्षम होंगे ।

(ii) यथा उप अनुच्छेद-1 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1850 के अनुच्छेद-21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होंगे ।

5. **लोक कार्य स्थलों पर धूम्रपान की निषिद्धता**--कोई व्यक्ति लोक कार्य-स्थल पर धूम्रपान नहीं करेंगे ।

6. **लोक वाहनों में धूम्रपान की निषिद्धता**--मोटर वाहन अधिनियम-1988 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्वाग्रहों के बिना कोई व्यक्ति लोक वाहनों में धूम्रपान नहीं करेंगे ।

7. **सिगरेट आदि के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध**-- तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी भी स्थान अथवा लोक वाहनों में कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं करेंगे, जिससे धूम्रपान को प्रोत्साहन मिलता हो अथवा सिगरेट, बीड़ी आदि के बिक्रय को प्रोत्साहन मिलता हो ।

8. **लोक कार्य, लोकोपयोगी स्थलों में सिगरेट के बिक्रय, वितरण एवं सिगरेट बिक्रय के लिए भंडारण की निषिद्धता**--कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लोक कार्यस्थलों/लोकोपयोगी स्थानों में सिगरेट, बीड़ी अथवा धूम्रपान की चीजों का न तो बिक्रय करेगा और वितरण या सिगरेट बिक्री के लिए भंडारण ही करेगा ।

9. **बोर्ड पर संप्रदर्शन एवं प्रदर्शन**--प्रत्येक लोक कार्य-स्थलों/लोकपयोगी स्थानों का स्वामी अथवा प्रबन्धक अथवा इनके प्रभारी ऐसे स्थानों के अन्दर या बाहर धूम्रपान के लिए सहज दृश्य स्थानों पर जिसका उपयोग या व्यवहार जनता के द्वारा किया जाता हो, सूचना पट के द्वारा यह चेतावनी प्रदर्शित करेंगे कि ये क्षेत्र धूम्रपान निषेध परिक्षेत्र है, तथा धूम्रपान दण्डनीय अपराध है ।

10. **शक्तियाँ**--i. कोई व्यक्ति जो उपबन्धों का उल्लंघन करता है -धारा-56 एवं 9 के लिए जुर्माना से जो, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा, और द्वितीय या पश्चातवर्त्ती उपबंध की स्थिति में कम-से-कम दो सौ रुपये जुर्माना से दण्डनीय होगा, परन्तु वह पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा ।

ii. धारा-7 या 8 के लिए अर्थदण्ड से दण्डनीय, जो पाँच सौ रुपये तक होगा, और द्वितीय या पश्चातवर्त्ती अपराध की स्थिति में कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगा, या न्यूनतम पाँच सौ रुपये अर्थदण्ड, परन्तु जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

11. **लोक कार्य या लोकोपयोगी स्थल से इस अधिनियम के उल्लंघनकर्त्ता का निष्कासन**--कोई प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा कोई कार्यपालक दण्डाधिकारी अथवा कोई आरक्षी पदाधिकारी, जो अवर निरीक्षक से अन्यून होगें, किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, लोक कार्यस्थल/लोकोपयोगी स्थलों से निष्काषित कर सकता है ।

12. **इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारार्थ तथा अपराधों के संज्ञान के लिए सक्षम न्यायालय**-- (i) दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संज्ञान और विचारण नहीं कर सकेगा ।

(ii) कोई भी न्यायालय धाराएँ-5, 6 एवं 9 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी के लिखित शिकायत पर धारा-7 एवं 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आरक्षी पदाधिकारी, जो अवर निरीक्षक से अन्यून होंगे, के लिखित शिकायत पर ही इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

13. **कुछ अपराधों का संज्ञेय एवं जमानती होना**--दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा-7 एवं 8 के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होंगे ।

14. **इस अधिनियम के सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारणीय होना**-- इस अधिनियम के सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण उसी तरह होगा, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित है ।

15. **प्रत्यायोजित करने की शक्ति**--सरकार, सरकारी अधिसूचना द्वारा यह निर्देशित कर सकती है, कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जानेवाली शक्ति किसी उस अधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि उसमें उल्लेखित हो, वशर्ते यह ऐसी शर्त्तों, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगा, जैसा कि उसमें वर्णित हो ।

16. **अपराधों को शमन**--राज्य सरकार या इसके द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश से प्राधिकृत कोई व्यक्ति कार्यवाही शुरू होने के पहले या बाद में इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन दण्डनीय किन्हीं अपराधों का शमन कर सकते है ।

यह विधेयक झारखण्ड धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान रहितों की स्वास्थ्य सुरक्षा विधेयक 2002 के झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 27 दिसम्बर, 2002 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

इन्दर सिंह नामधारी,
अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।
दिनांक 27-02-2003

म० रामा जोयिस,
राज्यपाल,
झारखण्ड, राँची ।

सच्ची प्रतिलिपि
(अमरनाथ झा)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु०राँची-(एल०ए०)100--81--28-6-2003--शनि मुंडा ।